संख्या–1614/23–10–2017–12(सामान्य)/2017

प्रेषक,

डा0 राजशेखर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–10 लखनऊ :: दिनाँक 09 नवम्बर, 2017

विषयः– **जी.एस.टी. की व्यवस्था के प्रभावी होने के दृष्टिगत नये कार्यों के आगणन के गठन व गठित अनुबन्धों की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–182कैम्प/मु0अभि0(मु0–1)/2017, दि0 20.09.17 एवं सं0–209 कैम्प/मु0 अभि0(मु0–1)/2017(जी0एस0टी0) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जी.एस.टी. की व्यवस्था के प्रभावी होने के दृष्टिगत नये कार्यों के आगणन के गठन व गठित अनुबन्धों की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रभावी जी.एस.टी. की व्यवस्था के दृष्टिगत प्रदेश में नये कार्यों के आगणन के गठन व गठित अनुबन्धों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) <u>नये कार्यों के आगणन गठन हेतु–</u>

1. मार्गों के आगणन के किसी भी मद के दर–विश्लेषण में प्रयुक्त सामग्री की दर में किसी भी प्रकार का टैक्स न जोड़ा जाये, जैसेकि ग्रिट, पत्थर, सीमेण्ट स्टील, बिटुमिन इत्यादि में एक्साईज ड्यूटी, एण्ट्री टैक्स एवं वैट आदि को बिना सम्मिलित किए दरों को दर विश्लेषण में प्रयुक्त किया जायेगा। चूंकि जी.एस.टी. में कर के ऊपर कर लगने की व्यवस्था समाप्त हो गई है अतः आगणन करते समय जी.एस.टी. की धनराशि सम्मिलित नहीं होगी।
2. आगणन में विभिन्न सामग्रियों हेतु जैसे–पत्थर, ग्रिट, बालू मोरंग इत्यादि में रायल्टी खनन विभाग के शासनादेशों के क्रम में पूर्व की भांति जोड़ी जायेगी।
3. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जो आगणन मोर्थ की स्टैण्डर्ड डाटा बुक (MORTH Standard Data Book) के आधार पर बनाये जाते हैं, उसमें ओवरहेड में 4 प्रतिशत वैट/सेल्स टैक्स हेतु सम्मिलित है। अतः मोर्थ की स्टैण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर बनाये जाने वाले आगणनों में निर्धारित ओवरहेड में 4 प्रतिशत घटाकर ही दर विश्लेषण किया जाये। चूँकि वैट अधिनियम अस्तित्व में नहीं है । अतः पूर्व में 4 प्रतिशत ओवरहेड में सम्मिलित था तो उसे घटाकर आगणन किया जाना होगा।
4. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण मार्गों/अन्य जिला मार्गों के जो आगगन मोर्थ की स्टैण्डर्ड डाटा बुक के अनुसार बनाये जाते हैं, उसमें ओवरहेड 2.5 प्रतिशत के अनुसार दिये जाने का प्राविधान है। वैट/सेल्स टैक्स के लिए कोई अतिरिक्त प्राविधान ओवरहेड मद में नहीं था। अतः ओवरहेड यथावत् 2.5 प्रतिशत लिया जाय। वैट/सेल्स टैक्स, एक्साईज ड्यूटी, एण्ट्री टैक्स का प्राविधान किसी भी मद में नहीं किया जायेगा। वैट/सेल्स टैक्स, एक्साईज ड्यूटी, एण्ट्री टैक्स आदि जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत समाप्त होने के कारण इस मद में कोई धनराशि नहीं ली जायेगी।

.....2/–

5. भवनों के आगणन हेतु किसी भी मद के दर–विश्लेषण में किसी भी प्रकार का टैक्स (यथा एक्साईज, एण्ट्री टैक्स, वैट आदि जी.एस.टी. में समाहित हो गया हो) न जोड़ा जायेगा एवं यदि मद की दर विश्लेषण में ओवरहेड जोड़ा जा रहा हो, तो उस ओवरहेड में वैट/सेल्स टैक्स के लिए प्राविधानित राशि को घटा दिया जायेगा। चूँकि एक्साईज, एण्ट्री टैक्स, वैट आदि जी0एस0टी0 में समाहित हो गया है अतएव ओवरहेड में ली जाने वाली धनराशि में इन मदों में कोई धनराशि नहीं ली जायेगी।

6. सेतुओं के आगणन हेतु उपरोक्त कमांक–3 एवं 4 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. कार्यों की कुल आंकलित लागत में निर्धारित जी.एस.टी. जो कि वर्तमान में 12 प्रतिशत है, के अनुसार प्राविधान किया जायेगा। भविष्य में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा यदि जी.एस.टी. दर में परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार दर पुनरीक्षित की जायेगी। अतएव गवर्नमेण्ट कान्ट्रैक्ट के जिन मामलों में जी.एस.टी. की देयता है, उन पर टैक्स रहित कुल आगणित लागत में 12 प्रतिशत जी.एस.टी. अथवा उस कान्ट्रैक्ट पर जो कर की दर लागू हो, सम्मिलित की जायेगी ।

8. आंकलित लागत में जी.एस.टी. जोड़ने के उपरान्त प्राप्त लागत पर कन्टीन्जेन्सी/ लेबर सेस का प्राविधान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

9. यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट क्लीयरेन्स इत्यादि के आगणन में जी.एस.टी. का प्राविधान सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा एवं इनकी लागत को कमांक–8 के बाद आगणन में जोड़ा जायेगा।

10. लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में निर्गत किये जाने वाले शेड्यूल ऑफ रेट्स (Schedule of Rates) में सभी प्रकार की मदों में किसी भी प्रकार के टैक्स या जी.एस.टी. का समावेश नहीं किया जायेगा।

11. भविष्य में कार्यों की जो निविदायें आमंत्रित की जायें, उनमें वित्तीय प्रस्ताव जी.एस.टी. राशि को छोड़कर (Exclusive of G.S.T.) प्राप्त की जायें। लागू जी.एस.टी. अलग से देय होगा। जी.एस.टी. को छोड़कर शेष समस्त कर, उपकर, लेवी फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार को होगा तथा यह माना जायेगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव (Financial offer Tender rate) में उपरोक्त का समावेश कर लिया गया है। अतएव जी.एस.टी. अधिनियम की धारा–33 के अनुसार जी.एस.टी. की धनराशि संविदाकार द्वारा जारी किये जाने वाले बिलों पर अलग से प्रदर्शित की जायेगी। अतः वित्तीय प्रस्ताव में जी.एस.टी. का अलग से उल्लेख किया जाना होगा।

12. 01 जुलाई, 2017 के पश्चात् सेवा प्रयोक्ताओं की सेवाओं हेतु वित्तीय प्रस्ताव जी.एस.टी. राशि को छोड़कर (Exclusive of G.S.T.) प्राप्त की जायेगी। लागू जी.एस.टी. अलग से देय होगा। अतएव वित्तीय प्रस्ताव में जी.एस.टी. की धनराशि अलग से अंकित की जानी चाहिए।

.....3/

(2) <u>गठित अनुबन्धों हेतु व्यवस्था–</u>

अनुबन्ध में अंकित समस्त मदों का दर विश्लेषण स्वीकृत प्राविधिक आगणन (जिसके आधार पर अनुबन्ध गठित हुआ है) के अनुसार लिया जायेगा। उदाहरणार्थ–किसी मद के लिये यह दर Rv बनती है। अनुबन्ध की समस्त मदों का आंकलन बिना किसी टैक्स को जोड़े हुए किया जायेगा तथा अन्त में लागू जी.एस. टी. की दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत) को जोड़ते हुए मद की जी.एस.टी. सहित दर निकाली जायेगी। उदाहरणार्थ–किसी मद के लिए यह दर Rg बनती है। जी.एस.टी. की नई व्यवस्था के कारण अतिरिक्त टैक्स भार (ऋणात्मक अथवा धनात्मक) मदवार निकाला जायेगा। उदाहरणार्थ–जी.एस.टी. के कारण दरों पर प्रभाव होगा (Rv-Rg)। अतिरिक्त टैक्स भार मदवार=अनुबन्धित दर (A) x भुगतान की जाने वाली मात्रा (Q) x (Rg-Rv)/Rv गुणा कर प्राप्त की जायेगी। उपरोक्तानुसार आंकलित अतिरिक्त कर की धनराशि का भुगतान ठेकेदार को सीधे किया जायेगा। अतिरिक्त कर की धनराशि को ठेकेदार द्वारा स्वयं जमा किया जायेगा।

3– भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले एस0ओ0आर0 में मदों की दरें exclusive of G.S.T होगी। अतः भविष्य में गठित किये जाने वाले आगणन में मदों की exclusive of G.S.T दरों को लिया जाय। आगणन में जी0एस0टी0 के प्राविधान हेतु आगणन के अंत में कुल लागत पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–20/2017–central Tax (Rate) दिनांक 22.08.2017 में निर्मित तालिका के कॉलम–4 में निर्धारित तथा समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर की दर के अनुसार प्राविधान किया जाय।

4– भारत सरकार द्वारा पूरे देश में जी0एस0टी0 के अंतर्गत टैक्सेशन की व्यवस्था लागू की गयी है। जी0एस0टी0 काउन्सिल के द्वारा समय–समय पर इसमें परिवर्तन भी किये जा रहे हैं। अतः भारत सरकार द्वारा जी0एस0टी0 के संबंध में समय–समय पर जो आदेश अथवा निर्णय लिये जायेंगे, तत्समय उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा और तदनुसार आदेश भी निर्गत किये जायेंगे।

5– कृपया उपरोक्तानुसार जी.एस.टी. की विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 राजशेखर)
विशेष सचिव।

.....4/

संख्या—1614 (1)/23—10—2017—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2— निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3— प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
4— प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5— लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के समस्त अनुभाग।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र कुमार सिंह)
अनुसचिव।